

प्रेस नोट दिनांक 24.10.2020

1. दिनांक 23.10.20 को वादी श्री नितीश कुमार श्रीवास्तव प्रभारी निरीक्षक को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मनोज कुमार पुत्र लेखराज नि0 टकसाल थाना को0नगर अयोध्या आदि 11 नफर **सभी गिर0** अभि0गण ताश के पत्तों से सट्टा लगाना, मौके से 2 अदद ताश की गड्डी, 10 अदद मोबाइल मालफड 145940 रूपये व जामा तलाशी के 14060 रूपये बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 708/20 धारा 3/4 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 23.10.20 को वादी उ0नि0 श्री मुनिमन रंजन दूबे थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि धर्मराज पुत्र छांगुर नि0 नारा, कटरा चौकी के बगल थाना रा0ज0भू0 अयोध्या **गिर0** अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 499/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 23.10.20 को वादी उ0नि0 श्री शीतला प्रसाद यादव थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अश्वनी कुमार सिंह पुत्र हरि प्रसाद नि0 मड़ना थाना महाराजगंज अयोध्या अभियुक्त द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेन्सिंग का उल्लंघन करते हुए रेस्टोरेन्ट चलाना जिससे महामारी फैलने की सम्भावना होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 503/20 धारा 188, 269 भादवि व 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 23.10.20 को वादी श्री मो0 इरफान पुत्र मो0 समीम नि0 शाहजहॉपुर थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 इस्माइल पुत्र अज्ञात नि0 ककरही जनपद पन्ना मध्यप्रदेश आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा वादीको गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 758/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 23.10.20 को वादी का0 मनीष कुमार थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि तिलकराम चौहान पुत्र जेटूराम चौहान नि0 काजीपुर गाडर थाना गोसाईगंज अयोध्या **गिर0** अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 470/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 23.10.20 को वादी उ0नि0 श्री रमेश कुमार थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मुन्ना पुत्र राम फेर नि0 नेवादा गोपीनाथ थाना रौनाही अयोध्या **गिर0** अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 499/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 23.10.20 को वादी का0 अभिषेक यादव थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि धिर्न रैदास पुत्र शम्भू नि0 राम नगर अमांवा सूफी थाना खण्डासा अयोध्या **गिर0** अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 459/20 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 23.10.20 को वादी का0 अनुज कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संतराम पुत्र छविलाल नि0 पाकड़पुर थाना खण्डासा अयोध्या **गिर0** अभियुक्त के कब्जे से 5 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 500/20 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 23.10.20 को वादी का0 अभिमन्यु थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजेश निषाद पुत्र बालादीन नि0 मोहली थाना खण्डासा अयोध्या **गिर0** अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 501/20 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।